

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार सितम्बर 21, 1973/भाद्र 30, 1895

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1973 BHADRA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 21st September 1973

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Vegetable Oil Product Producers (Regulation of Refined Oil Manufacture) Order, 1973, namely:—

(1) This Order may be called the Vegetable Oil Product Producers (Regulation of Refined Oil Manufacture) Amendment Order 1973.

(2) It shall come into force at once.

(3) In the Vegetable Oil Product Producers (Regulation of Refined Oil Manufacture) Order, 1973, in sub-clause (c) of clause 2, the following words shall be omitted namely:—

“and shall include any vegetable oil which has been subjected to any or all of these processes.”

[No. 3-VP(13)/73]

G. C. L. JONEJA, Secy.

कुंवि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 449(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वनस्पति-तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण का विनियमन) आदेश, 1973 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम वनस्पति-तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण का विनियमन) संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. वनस्पति-तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण का विनियमन) आदेश 1973 के ~~अध्याय~~ 2 के उपखण्ड (ग) में, निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

“और उसमें वह वनस्पति तेल सम्मिलित है जो इन प्रक्रमों में से किसी या सभी के अधीन लाए गए हैं।”

[स० 3-बी पी (13)/73]

जी०सी० एल० जोनेजा, सचिव।